

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

प्रलिस के लयि:

अधीनस्थ वधिन संबधी समति, राष्ट्रीय नागरिक रजस्रिटर, 1985 का असम समझौता

मेन्स के लयि:

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से संबधति वशिषताएँ और मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) [नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम, 2019](#) (CAA) के तहत नयिमें को अधसूचति करने की समय सीमा से चूक गया ।

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से संबधति चतिओं और बेहतर स्पष्टता के लयि लोकसभा तथा राज्यसभा में दो संसदीय समतियिों (अधीनस्थ कानून संबधी समतियिों) ने गृह मंत्रालय से कानून को नथिंतरति करने वाले नयिमें के नरिमाण की मांग की थी ।
- अगर सरकार नयिम और कानून नहीं बनाती है, तो कोई कानून या उसके कुछ हसिसों को लागू नहीं कया जाएगा । वर्ष 1988 का बेनामी लेन-देन अधिनियम एक ऐसे ही कानून का उदाहरण है, जो नयिमें के अभाव में लागू नहीं कया गया है ।

अधीनस्थ वधिन संबधी समति:

- इस समति द्वारा जाँच की जाती है और यह सदन को रपिर्ट प्रस्तुत करती है कि क्या संबधिन द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजति वनियिमें, नयिमें और उप-नयिमें आदि को बनाने की शक्तियिों का इस तरह के प्रतनिधिमिंडल के दायरे में कार्यपालकिा द्वारा उचति रूप से प्रयोग कया जा रहा है ।
- इस समति में दोनों सदनों के सदस्य मौजूद होते हैं ।
- इसमें 15 सदस्य होते हैं ।
- इस समति में कसिी मंत्री को मनोनीत नहीं कया जाता है ।

प्रमुख बदि

- **CAA के बारे में:**
 - CAA पाकस्रितान, अफगानस्रितान और बांग्लादेश के छह गैर-मुसलमि समुदायों (हद्वि, सखि, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धरुम के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जनिहोंने 31 दसिंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कया था ।
 - यह छह समुदायों के सदस्यों को वदिशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत कसिी भी आपराधकि मामले से छूट देता है ।
 - दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीजा या परमटि के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लयि दंड नरिदषिट करते हैं ।
- **CAA के साथ संबद्ध चतिाएँ:**
 - **एक वशिष समुदाय को लक्षति करना:** ऐसी आशंकाएँ हैं कि CAA के बाद **राष्ट्रीय नागरिक रजस्रिटर (एनआरसी)** का देशव्यापी संकलन होगा यह प्रस्तावति नागरिक रजस्रिटर से बाहर कयि गए गैर-मुसलमानों को लाभान्वति करेगा, जबकि बहषिकृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबति करनी होगी ।
 - **उत्तर-पूरव के मुद्दे:** यह **वर्ष 1985 के असम समझौते** का खंडन करता है, जसिमें कहा गया है कि 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासयिों को चाहे वे कसिी भी धरुम के हों नरिवासति कर दया जाएगा ।
 - असम में अनुमानति 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं और उन्होंने राज्य के संसाधनों तथा अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव डालने के अलावा राज्य की जनसांख्यिकी को बदल दया है ।
 - **मौलकि अधिकारों के खलिाफ:** आलोचकों का तर्क है कि यह संबधिन के **अनुच्छेद 14** (जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है व

- नागरिकों और वदेशियों दोनों पर लागू होता है) तथा [संवधान की प्रस्तावना](#) में नहिती धर्मनरिपेक्षता के सदिधांत का उल्लंघन है।
- **प्रकृता में भेदभावपूरण:** भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जनिमें श्रीलंका के तमलि और म्याँमार के हट्टि रोहगिया शामिल हैं। वे इस अधनियिम के अंतरगत नहीं आते हैं।
 - **प्रशासन में कठनाई:** सरकार के लयि अवैध प्रवासियों और प्रभावति लोगों के बीच अंतर करना मुश्कलि होगा।
 - **द्वपिकषीय संबंधों में बाधा:** यह अधनियिम धार्मकि उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है जो काइन तीन देशों में हुआ है और हो रहा है तथा इस प्रकार उनके साथ हमारे द्वपिकषीय संबंध खराब हो सकते हैं।

आगे की राह

- भारत की एक समृद्ध सभ्यता रही है। इसलियि यह उन लोगों की रक्षा करने का एक नया प्रयास है जनि पर इसके पड़ोस में मुकदमा चलाया जाता है। हालाँकि तिरिके संवधान की भावना के अनुसार होने चाहियि।
- इस प्रकार MHA को CAA नयिमों को अत्यंत पारदर्शति के साथ अधसूचति करना चाहियि और सीएए से जुड़ी आशंकाओं को दूर करना चाहियि।

स्रोत: द हट्टि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/citizenship-amendment-act-2019-1>

